प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां
(अप्रैल, 2017)

*****

प्रमुख घटनाएं एवं उपलब्धियां

1. एचआईवी के साथ जीने वाले सभी लोगों को गुणवत्ताल पूर्ण सेवाएं उपलब्धक कराने हेतु माननीय स्वास्थ्यसा एवं परिवार कल्याणि मंत्री ने दिनांक 28 अप्रैल 2017 को नई दिल्लीथमें सीडी 4 काउंट पर विचार किए बिना सभी पीएलएचआईवी के लिए "सभी का उपचार" नीति की शुरूआत की।
2. प्रधानमंत्री स्वास्थ्यसुरक्षा योजना के चरण- III के तहत कोझीकोड मेडिकल कॉलेज , कोझीकोड और टीडी मेडिकल कॉलेज, अलापुजा के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अनुमोदित कर दिया गया है।
3. मंत्रिमंडल ने दिनांक 05 अप्रैल 2017 को आयोजित अपनी बैठक में स्वास्थ्यऔर मेडिसन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। उक्त एमओयू पर दिनांक 07 अप्रैल 2017 को हस्ताक्षर किया गया।
4. माननीय स्वास्थ्याएवं परिवार कल्याण मंत्री तथा श्री लिम बून हेंग , अध्यक्ष टैमासेक (सिंगापुर) के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत के लिए दिनांक 28 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित हुई।
5. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते , माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री के नेतृत्वग में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 19-21 अप्रैल 2017 को थिम्पू , भूटान में आयोजित "ऑटिज्मतथा न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स (एएनडीडी 2017)" में हिस्सा लिया।
6. दिनांक 03.04.2017 को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली , 1945 में संशोधन करने, जिसका उद्देश्यदऔषधियों के विनि र्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन के साथ बायोइक्विवैलेंस स्टडी डाटा प्रस्तु त करने को अनिवार्य बनाना है , तथा रक्ता बैंकों एवं रक्तं दान के संबंध में दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इन अधिसूचनाओं से क्रमश : देश में औषधियों की गुणवत्ताब में सुधार लाने तथा रक्तईबैंकों में रक्त् की उपलब्धता को आसान बनाने में मदद मिलेगी।
7. माननीय स्वास्थ्यएवं परिवार कल्यां ण मंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि आरएसबीवाई के माध्यम से उपलब्धकराई जा रही स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कोई कमी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यप सरकार अपने स्तीर पर निर्णय ले सकती है और वे या तो उन्हीं निबंधनों और शर्तों के आधार पर वर्तमान में पंजीकृत लाभार्थियों के साथ मौजूदा नीति को विस्ता रित कर सकती है या वे वर्ष 2017-18 के दौरान आरएसबीवाई के लिए नई निविदा आमंत्रित कर सकती हैं। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि राज्यक सरकारें अपनी योजनाओं के लिए मौजूदा आरएसबीवाई आईटी प्लेटफार्म का उपयोग कर सकती हैं अथवा वे अपने राज्यं की योजनाओं के लिए अपनी आईटी प्रणालियों को विकसित कर सकती हैं /यदि उनके पास कोई प्रणाली हो तो उसे जारी रख सकती हैं। इन आईटी प्रणालियों को आरएसबीवाई को कार्यान्वित करने वाले सभी राज्यों के लिए तैयार की जा रही आईटी प्रणाली के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

8. अप्रैल में मिशन इंद्रधनुष का संचालन 25 राज्यों के 244 जिलों में किया गया। दिनांक 24.04.2017 की तिथि तक 19 राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 के दौरान कुल 8.14 लाख बच्चों और 2.59 लाख गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए।
9. एनईईटी-सुपर स्पेशिएलिटी - 2017 के लिए सूचना विवरणिका को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।
10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिदेशित ओवरसाईट समिति के अनुमोदन से वर्ष 2016-17 में 30 सुपरस्पेशिएलिटी पाठ्यक्रमों को कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई। कॉलेजों द्वारा शर्तों के अनुपालन पर विचार करने के उपरांत 18 सुपरस्पेशिएलिटी पाठ्यक्रमों के संबंध में शर्तों को हटाने से संबंधित पत्र जारी किए गए।
11. 39 पीजी (ब्रोड स्पेशिएलिटी) सीटों के लिए अनुमति पत्र , 14 पीजी पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने संबंधी अधिसूचना और बढ़ाई गई सीटों के लिए 73 पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने संबंधी पत्र जारी किए गए हैं।
12. 1 डेंटल कॉलेज के संबंध में बीडीएस डिग्री की मान्यता के लिए अधिसूचना जारी की गई है।

******